There is a close coordination between the National TB Control Programme and AIDS Control Programme to combat the twin HIV/AIDS/TB epidemic in the country.

Fake Doctors in the Capital

4203. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether a number of doctors are practising medicine and administering allopathic drugs to patients without proper qualifications and valid licence in the Capital;

(b) if so, the details thereof and whether Government have any check on these doctors; and

(c) how many cases have come to the notice of Government during the last two years and action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) to (c) In the latest circular dated 6th October, 1997 issued by the Ministry of Health and F.W., the State/U.T. Governments were requested to invoke the penal provisions of Indian Medical Council Act, 1956 and to take action to put an end to the problem of unqualified medical practitioners/quacks as well as to ensure that there is no fresh addition whatsoever of unqualified persons in the stream of practitioners. On the basis of complaints received, the Govt. of N.C.T. of Delhi had tentatively identified 430 unqualified medical practitioners, the figure of which had been submitted to Hon'ble High Court of Delhi by Govt. of N.C.T. of Delhi, in May, 1997. As per the information available, the Govt, of N.C.T. of Delhi have conducted verification to identify/ verify practitioners without valid qualification/registration.

सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम करने के लिए प्रयास

4204. **श्री नागमणि:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(घ) क्या सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने तथा उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का दिल्ली के परिधीय क्षेत्रों में 500 पलंगों वाला एक अस्पताल और 100 पलगों वाले आठ अस्पतालों को खोलने का प्रस्ताव है। सरकार अस्पतालों पर दबाव कम करने हेतु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनांतर्गत आने वाले रोगियों के उपचार के लिए सरकार ने कुछ प्राईवेट अस्पतालों एवं उपचर्या गृहों को भी मान्यता दी है। इसी प्रकार वाह्य रोगी विभाग में सुबह के दबाव को कम करने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में दोपहर बाद क्लिनिक शुरू किए गए हैं।

(ग) अस्पतालों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अपने बजट में समुचित प्रावधान करेगी। मान्यता प्राप्त प्राईवेट अस्पतालों में किए गए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति प्रशासकीय मंत्रालय/विभागों द्वारा की जाती है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात् डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफजदरजंग अस्पताल एवं लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा सम्बद्ध अस्पतालों में इमरजेंसी/केजुएल्टी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 10.02.1998 को स्थाई वित्त समिति द्वारा एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। इसका कार्यान्वयन नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न रोगों के वाह्य रोगी विभागों के क्लिनिकों को एक ही स्थान पर लाने के उद्देश्य से सफजदरजंग अस्पताल में